

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 458] No. 458] नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2017/ ज्येष्ठ 17, 1939

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 2017/JYAISTHA 17, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2017

आय-कर

सा.का.नि. 557(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 92गख की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2017 है।
 - (2) ये प्रवृत्त होंगे और 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।
- 2. आय-कर नियम, 1962 में,--
 - (I) नियम 10नक में,--
 - (i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--
 - "(क) "लेखापाल" से अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट कोई लेखापाल अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उस देश की सरकार, जहां सहयुक्त उपक्रम या उसका

3585 GI/2017 (1)

कोई अभिकरण रजिस्ट्रीकृत है या निगमित है, द्वारा लागत प्रमाणन करने के लिए मान्यताप्राप्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :--

- (I) यदि वह किसी अस्तित्व का सदस्य या भागीदार है, जो लेखांकन या मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ है तब,--
 - (i) अस्तित्व या उसके संबद्ध की दो से अधिक देशों में उपस्थिति है ; और
 - (ii) अस्तित्व की उस वर्ष, जिसमें लागत प्रमाणन किया गया है, से पूर्व वर्ष में वार्षिक प्राप्ति दस करोड़ रुपए से अधिक है;
- (II) यदि वह व्यष्टिक रूप से लेखांकन का व्यवसाय कर रहा है या मूल्यांकक है तब,--
 - (i) उसकी उस वर्ष, जिसमें लागत प्रमाणन किया गया था, में व्यवसाय से वार्षिक प्राप्ति एक करोड़ रुपए से अधिक है ;
 - (ii) उसके पास दस वर्ष से अन्यून व्यवसायिक अनुभव है ;
- (ii) विद्यमान खंड (क) का पठन खंड (कक) के रूप में किया जाएगा ; और
- (iii) इस प्रकार संशोधित खंड (कक) के उपखंड (viii) में "गया है" शब्दों के पश्चात् "सिवाय वहां जहां साफ्टवेयर की डीबर्गिंग जैसे नेमी कृत्यों को करने के लिए सोर्स कोड उपलब्ध कराया गया है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;
- (iv) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(गक) "कर्मचारी लागत" में,--

- (i) वेतन और मजदूरी ;
- (ii) उपदान ;
- (iii) भविष्य निधि और अन्य निधियों में अभिदाय ;
- (iv) अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) में यथाविनिर्दिष्ट परिलब्धियों का मूल्य ;
- (v) रोजगार से संबंधित भत्ते, जैसे चिकित्सा भत्ता, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और कोई अन्य भत्ता ;
- (vi) बोनस या कमीशन, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो ;
- (vii) सेवा समाप्ति या अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर प्राप्त एकमुश्त संदाय, जैसे उपदान, पृथक्करण वेतन, छुट्टी नकदीकरण, स्वैच्छिक छटनी, फायदें, पेंशन का सारांशीकरण और ऐसे ही संदाय ;
- (viii) नियमित कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य के समान कार्य करने वाले संविदात्मक नियोजित व्यक्तियों पर उपगत व्यय ;

(ix) कर्मचारी लागत, जहां पता लगाया जा सकता हो, के विस्तार तक आउटसोर्सिंग व्यय, जिसे कुल आउटसोर्स व्यय में मिलाया गया है:

परंतु जहां कुल आउटसोर्सिंग व्यय में शामिल कर्मचारी लागत के परिमाण का पता नहीं लगाया जा सकता है तो कुल आउटसोर्सिंग व्यय के अस्सी प्रतिशत को कुल आउटसोर्सिंग व्यय में सम्मिलित कर्मचारी लागत समझा जाएगा;

- (x) भर्ती व्यय ;
- (xi) पुन: स्थापन व्यय;
- (xii) प्रशिक्षण व्यय ;
- (xiii) कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय ; और
- (xiv) कर्मचारियों या नियोजन से संबंधित कोई अन्य व्यय ;';
- (v) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(छक) "निम्न मूल्य—वर्धन अंत:समूह सेवाएं" से वे सेवाएं अभिप्रेत हैं, जिनको बहुराष्ट्रीय उपक्रम समूह के एक या अधिक सदस्यों द्वारा उसी बहुराष्ट्रीय उपक्रम के एक या अधिक सदस्यों की ओर से किया जाता है और,--

- (i) जो सहायक सेवाओं की प्रकृति की है;
- (ii) जो बहुराष्ट्रीय उपक्रम समूह के कोर कारबार का भाग नहीं है, अर्थात् ऐसी सेवाएं न तो लाभ अर्जन कार्यकलापों का गठन करती है न ही बहुराष्ट्रीय उपक्रम समूह के आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कार्यकलापों में अंशदान करती है;
- (iii) वे शेयरधारण सेवाओं या अनुलिपि सेवाओं की प्रकृति की नहीं है;
- (iv) न ही उनमें विशिष्ट और मूल्यवान अर्मूत के उपयोग की अपेक्षा है न ही उनके द्वारा विशिष्ट और मूल्यवान अर्मूत का सृजन होता है;
- (v) न ही उनमें सेवा प्रदाता द्वारा महत्वपूर्ण जोखिम की उपधारणा या नियंत्रण अंतर्विलित है न ही उनसे सेवा प्रदाता के लिए महत्वपूर्ण जोखिम का सृजन उत्पन्न होता है; और
- (vi) उनमें विश्वसनीय बाह्य तुलनात्मक सेवा नहीं है, जिसका उपयोग उनके सन्निकट मुल्य का अवधारण करने के लिए किया जा सकता है,

परंतु इसमें निम्नलिखित सेवाएं शामिल नहीं है, अर्थात् :--

- (i) अनुसंधान और विकास सेवाएं ;
- (ii) विनिर्माण और उत्पादन सेवाएं ;
- (iii) सूचना प्रौद्योगिकी (साफ्टवेयर विकास) सेवाएं ;

- (iv) ज्ञान प्रसंस्करण आउटसोर्सिंग सेवाएं ;
- (v) कारबार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाएं ;
- (vi) कच्ची सामग्रियों या अन्य सामग्रियों, जिनका उपयोग विनिर्माण या उत्पादन प्रक्रिया में होता है, को क्रय करने के कार्यकलाप;
- (vii) विक्रय, विपणन और वितरण कार्यकलाप ;
- (viii) वित्तीय संव्यवहार ;
- (ix) प्राकृतिक संसाधनों का उत्खनन, अन्वेषण या प्रसंस्करण ; और
- (x) बीमा और पुन: बीमा ;"

(vi) खंड (ञ) में,--

- (अ) दीर्घ पंक्ति में "सामान्य प्रचालन के अनुक्रम में अपाकरण व्यय है" शब्दों के पश्चात् "कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना या वैसे ही स्टॉक आधारित प्रतिकर, जिनको निर्धारिती के सहयुक्त उपक्रम द्वारा निर्धारिती के कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जा रहा है, निर्धारिती के निमित्त सहयुक्त उपक्रम द्वारा उपगत व्यय की सहयुक्त उपक्रमों को प्रतिपूर्ति, उन सहयुक्त उपक्रमों के निमित्त निर्धारिती द्वारा उगपत व्ययों के लेखे सहयुक्त उपक्रमों द्वारा वसूली गई रकम और जो निर्धारिती के सामान्य प्रचालनों से संबंधित है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;
- (आ) मद (viii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"निर्धारिती के निमित्त सहयुक्त उपक्रमों द्वारा उपगत व्ययों की सहयुक्त उपक्रमों को प्रतिपूर्ति लागत पर होगी:";

"परंतु यह और कि सहयुक्त उपक्रमों के निमित्त निर्धारिती द्वारा उपगत व्ययों के लेखे सहयुक्त उपक्रमों से वसूली गई रकम और जो निर्धारिती के सामान्य प्रचालनों से संबंधित है, लागत पर होगी;"

- (vii) खंड (ट) में दीर्घ पंक्ति में "राजस्व अभिप्रेत है" शब्दों के पश्चात् "जिसके अंतर्गत कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना से संबंधित लागत या निर्धारिती के सहयुक्त उपक्रमों द्वारा निर्धारिती के कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाने वाला वैसा ही स्टॉक आधारित प्रतिकर सम्मिलित है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;
- (viii) खंड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - "(ठक) "सुसंगत पूर्व वर्ष" से उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष अभिप्रेत है, जिसमें विधिपूर्वक सुरक्षित प्राश्रय का विकल्प इस्तेमाल किया गया है ;"।
- (II) नियम 10नख के उपनियम (1) में,--
 - (i) खंड (v) में "या" शब्द का लोप किया जाएगा ;

- (ii) खंड (vi) में "विक्रय" शब्द के पश्चात् "या" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा ;
- (iii) खंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--"(vii) अपने समूह के एक या अधिक सदस्यों से निम्न मूल्यवर्धन अंतरासमूह सेवाएं प्राप्त की हैं।"।

(III) नियम 10नग में,--

- (i) खंड (viii) में "या" शब्द का लोप किया जाएगा ;
- (ii) खंड (ix) में "संघटकों" शब्द के पश्चात् "या" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा ;
- (iii) खंड (ix) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
 "(x) अपने समूह के एक या अधिक सदस्यों से निम्न मूल्यवर्धन अंतरासमूह सेवाओं की
 प्राप्ति ।"।

(IV) नियम 10नघ में,--

- (i) उपनियम (1) में, "उपनियम (2)" शब्दों, कोष्ठक और अंकों के पश्चात् "या यथास्थिति, उपनियम (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
- (ii) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-"(2क) नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय पात्र संव्यवहार के संबंध में
 उपनियम (1) में निर्दिष्ट परिस्थितियां उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि
 यथाविनिर्दिष्ट होंगी :--

	T	
क्रम	पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार	परिस्थितियां
सं.		
(1)	(2)	(3)
1.	नियम 10नग की मद (i) में	पात्र निर्धारिती द्वारा प्रचालन व्यय के संबंध में उपगत पात्र अंतर्राष्ट्रीय
	निर्दिष्ट साफ्टवेयर विकास	संव्यवहारों से घोषित प्रचालन लाभ मार्जिन—
	सेवाओं के लिए उपबंध ।	(i) 17 प्रतिशत से कम नहीं है, जहां अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार का मूल्य एक सौ करोड़ रुपए की राशि से अनधिक है ; या
		(ii) 18 प्रतिशत से कम नहीं है, जहां अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार का मूल्य एक सौ करोड़ रुपए की राशि से अधिक है किंतु दो सौ करोड़ रुपए की राशि से अनिधिक है।
2.	नियम 10नग की मद (ii) में निर्दिष्ट सूचना प्रौद्योगिकी	पात्र निर्धारिती द्वारा प्रचालन व्यय के संबंध में पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों से घोषित प्रचालन लाभ मार्जिन—
	समर्थित सेवाओं का उपबंध ।	(i) 17 प्रतिशत से कम नहीं है, जहां पूर्व वर्ष के दौरान किए गए ऐसे संव्यवहारों का समग्र मूल्य एक सौ करोड़ रुपए की राशि से

		अनधिक है ; या
		(ii) 18 प्रतिशत से कम नहीं है, जहां पूर्व वर्ष के दौरान किए गए ऐसे संव्यवहारों का समग्र मूल्य एक सौ करोड़ रुपए की राशि से अधिक है किंतु दो सौ करोड़ रुपए की राशि से अनिधक है।
3.	3. नियम 10नग की मद (iii) में बाह्य स्रोत से ज्ञान प्रसंस्करण सेवाओं का उपबंध।	अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों का मूल्य दो सौ करोड़ रुपए की राशि से अनिधक है और पात्र निर्धारिती द्वारा प्रचालन व्यय के संबंध में पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों से घोषित प्रचालन लाभ मार्जिन—
		(i) 24 प्रतिशत से कम नहीं है और प्रचालन व्यय के संबंध में कर्मचारी लागत कम से कम 60 प्रतिशत है ;
		(ii) 21 प्रतिशत से कम नहीं है और प्रचालन व्यय के संबंध में कर्मचारी लागत 40 प्रतिशत या अधिक किंतु 60 प्रतिशत से कम है ; और
		(iii) 18 प्रतिशत से कम नहीं है और प्रचालन व्यय के संबंध में कर्मचारी लागत 40 प्रतिशत से अनधिक है ।
4.	4. नियम 10नग की मद (iv) में निर्दिष्ट अंतरासमूह ऋण देना, जहां ऋण की रकम भारतीय रूपए के अंकित मूल्य में है।	पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में घोषित ब्याज दर सुसंगत पूर्व वर्ष के एक अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष के लिए ऋण देने की दर की निधियों की लागत से कम नहीं है, धन— (i) 175 आधारिक बिन्दु, जहां सहयुक्त उपक्रम की
		सीआरआईएसआईएल प्रत्यय रेटिंग एएए से ए या उसके समतुल्य हैं ;
		(ii) 325 आधारिक बिन्दु, जहां सहयुक्त उपक्रम की सीआरआईएसआईएल प्रत्यय रेटिंग बीबीबी-, बीबीबी या बीबीबी+ या उसके समतुल्य हैं;
		(iii) 475 आधारिक बिन्दु, जहां सहयुक्त उपक्रम की सीआरआईएसआईएल प्रत्यय रेटिंग बीबी से बी या उसके समतुल्य हैं ;
		(iv) 625 आधारिक बिन्दु, जहां सहयुक्त उपक्रम की सीआरआईएसआईएल प्रत्यय रेटिंग सी से डी या उसके समतुल्य हैं ; या
		(v) 425 आधारिक बिन्दु, जहां सहयुक्त उपक्रम की सीआरआईएसआईएल प्रत्यय रेटिंग उपलब्ध नहीं है और सहयुक्त उपक्रम को दिए गए ऋण की रकम, जिसके अंतर्गत सभी सहयुक्त उपक्रमों को ऋण हैं, भारतीय रुपए में सुसंगत पूर्व वर्ष के 31 मार्च को समग्र रूप से एक सौ करोड़ रुपए की राशि से अनिधिक हैं।
5.	नियम 10नग की मद (iv) में निर्दिष्ट अंतरासमूह ऋण देना, जहां ऋण की रकम विदेशी	पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में घोषित ब्याज दर सुसंगत पूर्व वर्ष के 30 सितंबर को सुसंगत विदेशी मुद्रा के छह मास लंदन अंतरबैंक प्रस्ताव दर से कम नहीं है, धन—

	मुद्रा के अंकित मूल्य में है ।	(i) 150 आधारिक बिन्दु, जहां सहयुक्त उपक्रम की
		सीआरआईएसआईएल प्रत्यय रेटिंग एएए से ए या उसके समतुल्य हैं ;
		(ii) 300 आधारिक बिन्दु, जहां सहयुक्त उपक्रम की
		सीआरआईएसआईएल प्रत्यय रेटिंग बीबीबी-, बीबीबी या बीबीबी+ या
		उसके समतुल्य हैं ;
		(iii) 450 आधारिक बिन्दु, जहां सहयुक्त उपक्रम की
		सीआरआईएसआईएल प्रत्यय रेटिंग बीबी से बी या उसके समतुल्य हैं ;
		(iv) 600 आधारिक बिन्दु, जहां सहयुक्त उपक्रम की
		सीआरआईएसआईएल प्रत्यय रेटिंग सी से डी या उसके समतुल्य हैं ; या
		(v) 400 आधारिक बिन्दु, जहां सहयुक्त उपक्रम की
		सीआरआईएसआईएल प्रत्यय रेटिंग उपलब्ध नहीं है और सहयुक्त
		उपक्रम को दिए गए ऋण की रकम, जिसके अंतर्गत सभी सहयुक्त
		उपक्रमों को ऋण हैं, भारतीय रुपए में सुसंगत पूर्व वर्ष के 31 मार्च को
		समग्र रूप से एक सौ करोड़ रुपए की राशि से अनिधक हैं।
6. नियम 10नग की मद (v) की		पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों के संबंध में घोषित कमीशन या फीस की
	उपमद (क) या उपमद (ख) में	दर प्रत्याभूत रकम पर एक प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम नहीं है ।
	निर्दिष्ट निगमित प्रत्याभूति का उपबंध ।	
7.	नियम 10नग की मद (vi) में	पात्र निर्धारिती द्वारा पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों से उपगत प्रचालन
	निर्दिष्ट पूर्णतया या भागत: संविदा अनुसंधान और सेवाओं का उपबंध।	व्ययों के संबंध में घोषित प्रचालन लाभ मार्जिन 24 प्रतिशत से कम नहीं
		है, जहां अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार का मूल्य दो सौ करोड़ रुपए की राशि से
		अनिधिक है।
8.	नियम 10नग की मद (vii) में निर्दिष्ट पूर्णतया या भागत: वर्ग भेषज औषधियों का संविदा अनुसंधान और सेवाओं का उपबंध।	पात्र निर्धारिती द्वारा पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों से उपगत प्रचालन व्ययों के संबंध में घोषित प्रचालन लाभ मार्जिन 24 प्रतिशत से कम नहीं
		वियया के सबंध में याजित प्रचालन लाम माजिन 24 प्रातशत से कम नहां है, जहां अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार का मूल्य दो सौ करोड़ रुपए की राशि से
		अनिधिक है।
9. नियम 10नग की मद (viii) में		पात्र निर्धारिती द्वारा पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों से उपगत प्रचालन
	निर्दिष्ट कोर आटो संघटकों का	व्ययों के संबंध में घोषित प्रचालन लाभ मार्जिन 12 प्रतिशत से कम नहीं
	विनिर्माण और निर्यात ।	है।
10.	नियम 10नग की मद (ix) में	पात्र निर्धारिती द्वारा पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों से उपगत प्रचालन
	निर्दिष्ट गैर कोर आटो संघटकों	व्ययों के संबंध में घोषित प्रचालन लाभ मार्जिन 8.5 प्रतिशत से कम
	का विनिर्माण और निर्यात ।	नहीं है।
11.	नियम 10नग की मद (x) में	अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार का समस्त मूल्य, जिसके अंतर्गत 5 प्रतिशत से
	निम्न मूल्य-वर्धन अंतर समूह	

सेवाओं की प्राप्ति ।	अनधिक मार्कअप है किंतु 10 करोड़ रूपए की राशि से अनधिक :
	परंतु लागत पूलिंग की विधि, लागत पूल से शेयर धारण लागत और
	अनुलिपि लागत का अपवर्जन तथा विदेशी सहयुक्त उपक्रम द्वारा
	निर्धारिती को लागतों के आबंटन के लिए इस्तेमाल की गई आबंटन कुंजियों को किसी लेखापाल द्वारा प्रमाणित किया जाता है।";
	कुाजया का किसा लखापाल द्वारा प्रमाणित किया जाता है । ;

(iii) उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(3क) उप-नियम (1) और उप-नियम (2क) के उपबंध निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा उस निर्धारण वर्ष के तुरन्त पश्चात्वर्ती दो निर्धारण वर्षों को लागू होंगे :

परंतु जहां पात्र निर्धारिती, यथास्थिति, उप-नियम (2) या उप-नियम (2क) के अधीन विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र है, वहां निर्धारिती को वह विकल्प चुनने का अधिकार होगा जो उसके लिए सर्वाधिक फायदाप्रद है।"

- (iv) उप-नियम (4) में, "और (2)" शब्द, कोष्ठक और संख्या के पश्चात् "या यथास्थिति, (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किये जाएंगे।
- (v) नियम 10नङ में, --
 - (i) उप-नियम (2) में दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'परंतु यह भी कि नियम 10नघ के उप-नियम (2क) के अधीन सुरक्षित प्राश्रय के विकल्प का विधिमान्य रुप से उपयोग करने की दशा में, "पांच" शब्द के स्थान पर "तीन" शब्द रखा जाएगा।';

- (ii) नियम 9 में, "उप-नियम (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक, जहां-जहां वे आते हैं, के पश्चात् "या यथास्थिति, उप-नियम (2क)" शब्द, कोष्ठक, संख्या और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;
- (iii) उप-नियम (13) में, "उप-नियम (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक, के पश्चात् "या यथास्थिति, उप-नियम (2क)" शब्द, कोष्ठक, संख्या और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

[अधिसूचना सं. 46/2017/फा. सं. 370142/6/2017-टीपीएल] राजेश कुमार केडिया, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 554 (अ) तारीख 5 जून, 2017 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2017

INCOME-TAX

G.S.R. 557(E).— In exercise of the powers conferred by section 295 read with sub-section (2) of section 92CB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Income-tax (12th Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force and shall be deemed to have come into force from the 1st day of April, 2017.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962,
 - (I) in rule 10TA, —
 - (i) for clause (a), following clause shall be substituted, namely:—
 - "(a) "accountant" means an accountant referred to in the *Explanation* below sub-section (2) of section 288 of the Act and includes any person recognised for undertaking cost certification by the Government of the country where the associated enterprise is registered or incorporated or any of its agencies, who fulfills the following conditions, namely:—
 - (I) if he is a member or partner in any entity engaged in rendering accountancy or valuation services then,—
 - (i) the entity or its affiliates have presence in more than two countries; and
 - (ii) the annual receipt of the entity in the year preceding the year in which cost certification is undertaken exceeds ten crore rupees;
 - (II) if he is pursuing the profession of accountancy individually or is a valuer then,—
 - (i) his annual receipt in the year preceding the year in which cost certification is undertaken, from the exercise of profession, exceeds one crore rupees; and
 - (ii) he has professional experience of not less than ten years."
 - (ii) the existing clause (a) shall be read as clause (aa);
 - (iii) in clause (aa) so amended, in sub-clause (viii), after the word "principal" the words ", except where the source code has been made available to carry out routine functions like debugging of the software" shall be inserted;
 - (iv) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:
 - '(ca) "employee cost" includes,—
 - (i) salaries and wages;
 - (ii) gratuities;
 - (iii) contribution to Provident Fund and other funds;
 - (iv) the value of perquisites as specified in clause (2) of section 17 of the Act;
 - (v) employment related allowances, like medical allowance, dearness allowance, travel allowance and any other allowance;
 - (vi) bonus or commission by whatever name called;
 - (vii) lumpsum payments received at the time of termination of service or superannuation or voluntary retirement, such as gratuity, severance pay, leave encashment, voluntary retrenchment benefits, commutation of pension and similar payments;
 - (viii) expenses incurred on contractual employment of persons performing tasks similar to those performed by the regular employees;

(ix) outsourcing expenses, to the extent of employee cost, wherever ascertainable, embedded in the total outsourcing expenses:

Provided that where the extent of employee cost embedded in the total outsourcing expenses is not ascertainable, eighty per cent. of the total outsourcing expenses shall be deemed to be the employee cost embedded in the total outsourcing expenses;

- (x) recruitment expenses;
- (xi) relocation expenses;
- (xii) training expenses;
- (xiii) staff welfare expenses; and
- (xiv) any other expenses related to employees or the employment;';
- (v) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:
- "(ga) "low value-adding intra-group services" means services that are performed by one or more members of a multinational enterprise group on behalf of one or more other members of the same multinational enterprise group and which,—
- (i) are in the nature of support services;
- (ii) are not part of the core business of the multinational enterprise group, i.e., such services neither constitute the profit-earning activities nor contribute to the economically significant activities of the multinational enterprise group;
- (iii) are not in the nature of shareholder services or duplicate services;
- (iv) neither require the use of unique and valuable intangibles nor lead to the creation of unique and valuable intangibles;
- (v) neither involve the assumption or control of significant risk by the service provider nor give rise to the creation of significant risk for the service provider; and
- (vi) do not have reliable external comparable services that can be used for determining their arm's length price, but does not include the following services, namely:—
- (i) research and development services;
- (ii) manufacturing and production services;
- (iii) information technology (software development) services;
- (iv) knowledge process outsourcing services;
- (v) business process outsourcing services;
- (vi) purchasing activities of raw materials or other materials that are used in the manufacturing or production process;
- (vii) sales, marketing and distribution activities;
- (viii) financial transactions;
- (ix) extraction, exploration, or processing of natural resources; and
- (x) insurance and reinsurance;"
- (vi) in clause (j),—
- (A) in the long line, after the words "operations including" the words "costs relating to Employee Stock Option Plan or similar stock-based compensation provided for by the associated enterprises of the assessee to the employees of the assessee, reimbursement to associated enterprises of expenses incurred by the associated enterprises on behalf of the assessee, amounts recovered from associated enterprises on account of expenses

incurred by the assessee on behalf of those associated enterprises and which relate to normal operations of the assessee and" shall be inserted;

(B) after item (viii), the following provisos shall be inserted, namely:

"Provided that reimbursement to associated enterprises of expenses incurred by the associated enterprises on behalf of the assessee shall be at cost:";

"Provided further that amounts recovered from associated enterprises on account of expenses incurred by the assessee on behalf of the associated enterprises and which relate to normal operations of the assessee shall be at cost;"

- (vii) in clause (k), in the long line, after the words "normal operation" the words "including costs relating to Employee Stock Option Plan or similar stock-based compensation provided for by the associated enterprises of the assessee to the employees of the assessee" shall be inserted;
- (viii) after clause (l), the following clause shall be inserted, namely:
- "(la) "relevant previous year" means the previous year relevant to the assessment year in which the option for safe harbour is validly exercised;".
- (II) in rule 10TB, in sub-rule (1),
- (i) in clause (v), the word "or" shall be omitted;
- (ii) in clause (vi), after the word "sales" the word "; or" shall be inserted;
- (iii) after clause (vi), the following clause shall be inserted, namely:—
- "(vii) is in receipt of low value-adding intra-group services from one or more members of its group.".
- (III) in rule 10TC, —
- (i) in clause (viii), the word "or" shall be omitted;
- (ii) in clause (ix), after the word "components" the word "; or" shall be inserted;
- (iii) after clause (ix), the following clause shall be inserted, namely:—
- "(x) receipt of low value-adding intra-group services from one or more members of its group,".
- (IV) in rule 10TD, —
- (i) in sub-rule (1), after the words, brackets and number "sub-rule (2)" the words, brackets, numbers and letter "or, as the case may be, sub-rule (2A)" shall be inserted;
- (ii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
- "(2A) The circumstances referred to in sub-rule (1) in respect of the eligible international transaction specified in column (2) of the Table below shall be as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table:—

S1.	Eligible International Transaction	Circumstances
No.		
(1)	(2)	(3)
1.	Provision of software development services	The operating profit margin declared by the eligible assessee
	referred to in item (i) of rule 10TC.	from the eligible international transaction in relation to operating
		expense incurred is –

		(i) not less than 17 per cent., where the value of international transaction does not exceed a sum of one hundred crore rupees; or
		(ii) not less than 18 per cent., where the value of international
		transaction exceeds a sum of one hundred crore rupees but does
		not exceed a sum of two hundred crore rupees.
2.	Provision of information technology enabled	The operating profit margin declared by the eligible assessee
	services referred to in item (ii) of rule 10TC.	from the eligible international transaction in relation to operating
		expense is –
		(i) not less than 17 per cent., where the aggregate value of such
		transactions entered into during the previous year does not
		exceed a sum of one hundred crore rupees; or
		(ii) not less than 18 per cent., where the aggregate value of such
		transactions entered into during the previous year exceeds a sum
		of one hundred crore rupees but does not exceed a sum of two
		hundred crore rupees.
3.	Provision of knowledge process outsourcing	The value of international transaction does not exceed a sum of
	services referred to in item (iii) of rule 10TC.	two hundred crore rupees and the operating profit margin
		declared by the eligible assessee from the eligible international
		transaction in relation to operating expense is –
		(i) not less than 24 per cent. and the Employee Cost in relation to
		the Operating Expense is at least sixty per cent.;
		(ii) not less than 21 per cent. and the Employee Cost in relation
		to the Operating Expense is forty per cent. or more but less than
		sixty per cent.; or
		(iii) not less than 18 per cent. and the Employee Cost in relation
		to the Operating Expense does not exceed forty per cent.
4.	Advancing of intra-group loans referred to in	The interest rate declared in relation to the eligible international
	item (iv) of rule 10TC where the amount of	transaction is not less than the one-year marginal cost of funds
	loan is denominated in Indian Rupees (INR).	lending rate of State Bank of India as on 1st April of the relevant
		previous year plus, –
		(i) 175 basis points, where the associated enterprise has CRISIL
		credit rating between AAA to A or its equivalent;
		(ii) 325 basis points, where the associated enterprise has CRISIL
		credit rating of BBB-, BBB or BBB+ or its equivalent;
		(iii) 475 basis points, where the associated enterprise has CRISIL
		credit rating between BB to B or its equivalent;
		(iv) 625 basis points, where the associated enterprise has CRISIL
		credit rating between C to D or its equivalent; or
		(v) 425 basis points, where credit rating of the associated
	I .	1

		enterprise is not available and the amount of loan advanced to the associated enterprise including loans to all associated enterprises in Indian Rupees does not exceed a sum of one hundred crore rupees in the aggregate as on 31st March of the relevant previous year.
5.	Advancing of intra-group loans referred to in item (iv) of rule 10TC where the amount of loan is denominated in foreign currency.	
6.		The commission or fee declared in relation to the eligible international transaction is at the rate not less than one per cent. per annum on the amount guaranteed.
7.	Provision of contract research and development services wholly or partly relating to software development referred to in item (vi) of rule 10TC.	from the eligible international transaction in relation to operating
8.	Provision of contract research and development services wholly or partly relating to generic pharmaceutical drugs referred to in item (vii) of rule 10TC.	from the eligible international transaction in relation to operating
9.	Manufacture and export of core auto components referred to in item (viii) of rule 10TC.	

10.	•	The operating profit margin declared by the eligible assessee from the eligible international transaction in relation to operating expense is not less than 8.5 per cent.
11.	Receipt of low value-adding intra-group services in item (x) of rule 10TC.	The entire value of the international transaction, including a mark-up not exceeding 5 per cent., does not exceed a sum of ten crore rupees: Provided that the method of cost pooling, the exclusion of shareholder costs and duplicate costs from the cost pool and the reasonableness of the allocation keys used for allocation of costs to the assessee by the overseas associated enterprise, is certified by an accountant.";

- (iii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
- "(3A) The provisions of sub-rules (1) and (2A) shall apply for the assessment year 2017-18 and two assessment years immediately following that assessment year:

Provided that where an eligible assessee is eligible to exercise option under sub-rule (2) or, as the case may be, sub-rule (2A) above, the assessee shall have the right to choose the option which is most beneficial to him."

- (iv) in sub-rule (4), after the words, brackets and number "and (2)" the words, brackets, numbers and letter "or, as the case may be, (2A)" shall be inserted.
- (V) in rule 10TE, —
- (i) in sub-rule (2), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:
- 'Provided also that in case of the option for safe harbour validly exercised under sub-rule (2A) of rule 10TD, the word "three" shall be substituted for "five".';
- (ii) in sub-rule (9), after the words, brackets and number "sub-rule (2)", wherever they may occur, the words, brackets, number and letter "or, as the case may be, sub-rule (2A)" shall be inserted;
- (iii) in sub-rule (13), after the words, brackets and number "sub-rule (2)" the words, brackets, number and letter "or, as the case may be, sub-rule (2A)" shall be inserted.

[Notification No. 46/2017/ F. No. 370142/6/2017-TPL]

RAJESH KUMAR KEDIA, Director (Tax Policy and Legislation)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E) dated the 26th March, 1962 and were last amended vide notification number G.S.R.554(E), dated the 5th June, 2017.